उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4672–औस / 2017–11 (1)–ए0एस0 / 09(16) दिनाँक 27 सितम्बर, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2791–औ0सं0 / 2016–11(1) ए0एस0 / 09 (16) दिनांक 08.07.2016 की संलग्न सूची–01 में 85 निजी चिकित्सालयों की मान्यता 01.07.2016 से 30.06.2018 तक के लिये सी0जी0एच0एस0 2006 की मानक दरों पर बढ़ाई गई थी।

सूची के क्रमांक 76 से 85 तक उल्लिखित चिकित्सालय प्रदेश से बाहर स्थित है एवं कारपोरेशन से मान्यता प्राप्त है, जिसमें भर्ती होकर कराई गई चिकित्सा में हुये उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2930–औ0सं0 / 2008–11(4)एफ / 86 (VOL-1) दिनांक 04.08.2008 में सकल चिकित्सा धनराशि की 75% प्रतिपूर्ति एवं कार्यालय ज्ञाप सं0–193–औ0सं0 / 2014–11(4)एफ / 86 (VOL-3) दिनांक 22.01.2014 अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराई गई चिकित्सा की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने की नीति पूर्व से विद्यमान है।

कारपोरेशन के उक्त आदेश सं0–2791 दिनांक 08.07.2016 में सी0जी0एच0एस0 की मानक दरों पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने के आदेश के दृष्टिगत प्रदेश के बाहर कारपोरेशन की मान्यता प्राप्त चिकित्यालयों में उपचार की प्रतिपूर्ति किये जाने में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ऐसा संज्ञान में आ रहा है।

अतः कार्यालय ज्ञाप सं0–2791–औ0सं0 / 2016 –11(1) ए0एस0 / 09 (16) दिनांक 08.07.2016 में आंशिक संशोधन करते हुये प्रदेश से बाहर कारपोरेशन की मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सलयों में उपचार कराने पर उपचार की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–2930–औ0सं0 / 2008–11(4)एफ / 86 (VOL-1) दिनांक 04.08.2008 एवं अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कराई गई चिकित्सा की प्रतिपूर्ति कार्यालय ज्ञाप सं0–193–औ0सं0 / 2014–11(4)एफ / 86 (VOL-3) दिनांक 22.01.2014 के अनुसार अनुमन्य की जायेगी।

कार्यालय ज्ञाप सं0–2791–औ0सं0 / 2016 –11(1) ए0एस0 / 09 (16) दिनांक 08.07.2016 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–4672–(1) औस / 2017–तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन) / (वितरण) / (वित्त),(वाणिज्य) / (कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्याँचल, लखनऊ / पूर्वान्चल, वाराणसी / पश्चिमाँचल, मेरठ / दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (आपरेशन) / (प्रोजेक्ट) / (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।